देश की क्रम सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी और तारीख सहित
1	2	3

.08.18

न्यायालय अन्तर्गत भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, राजमहल।
जमाबंदी सुधार वाद सं0– 01/2015–16
लालू शेख
बनाम
दानेश शेख एवं अन्य
आदेश

लालू शेख, पिता– स्व0 सलीम शेख, सा0– पियारपुर, थाना– राधानगर, जिला– साहेबगंज के द्वारा अपने विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से जमाबंदी सुधार वाद से संबंधित आवेदन दाखिल किया गया है। अवलोकन किया। उनके विद्वान अधिवक्ता को सुना। दाखिल आवेदन के अवलोकन करने तथा उनके विद्वान अधिवक्ता को सुनने के पश्चात संतुष्ट होकर अंचल अधिकारी, उधवा को इस कार्यालय के ज्ञापांक 35/भू0सु0, दिनांक 09.04.2018 के द्वारा प्रतिवेदन की मांग करते हुए विपक्षीगण को नोटिस निर्गत किया गया।

विवादित भूमि की विवरणी

मौजा	जमाबंदी नं0	रकवा
पियारपुर	10	03–15–00

विधिवत नोटिस निर्गत की गयी। नोटिस का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त। अवलोकन किया।

आवेदक आज उपस्थित। उत्तरवादी अनुपस्थित। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का संक्षिप्त में कहना है कि प्रश्नगत जमीन मौजा– पियारपुर, जमाबंदी नं0– 10, रकवा 03 बीघा 15 कट्ठा जमीन हुसैन शेख के नाम से पंजी II में दर्ज है। आवेदक अनुसूची में दिये गये जमीन का स्वामी तथा दखलकार है। हुसैन शेख, पिता– बीसु शेख को मौजा पियारपुर में 03 बीघा 15 कट्ठा जमीन थी, जिसका पंजी 2 में स्पष्ट उल्लेख हैं हुसैन शेख के तीन लड़के यथा सलीम शेख, जुहूर शेख तथा हकीमुद्दीन हुए। सलीम शेख का तीन लड़का लालू शेख जो कि स्वयं आवेदक हैं, तुराव अली शेख एवं सुराव अली शेख तथा एक लड़की हुई। हुसैन शेख की वंशावल निम्न प्रकार है:–

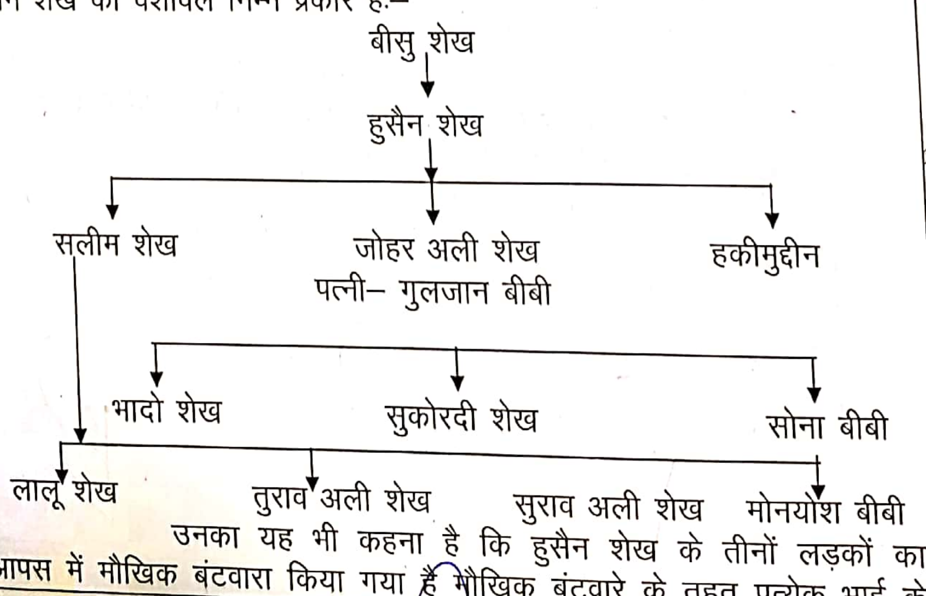

उनका यह भी कहना है कि हुसैन शेख के तीनों लड़कों का आपस में मौखिक बंटवारा किया गया है मौखिक बंटवारे के तहत् प्रत्येक भाई के

हिस्से में रकवा 01 बीघा 05 कट्ठा जमीन प्राप्त हुआ। हुसैन शेख का दो लड़का यथा हकीमुद्दीन शेख तथा जोहर अली शेख ने निबंधित केवाला सं0 3819, दिनांक 21.11.1958 के द्वारा शाम महम्मद शेख को रकवा 01 बीघा 11 कट्ठा 10 धूर जमीन बिक्री किये। पुनः दिनांक 07.11.1958 को निबंधित केवाला सं0 3704/1958 के द्वारा मौजा पियारपुर के जमाबंदी नं0– 10 का 01 बीघा जमीन शाम महम्मद शेख को बिक्री किया। इस प्रकार शाम महम्मद शेख को कुल रकवा 02 बीघा 11 कट्ठा 10 धूर जमीन बिक्री किया। पुनः शाम महम्मद शेख के द्वारा निबंधित विक्रय पत्र सं0 4290 दिनांक 14.12.1960 से उक्त दोनों केवाला का कुल 02 बीघा 11 कट्ठा 10 धूर जमीन मौजा पियारपुर, जमाबंदी नं0– 10 को गुलजान बीबी के पास विक्रय कर दिये। गुलजान बीबी द्वारा क्रय की गयी जमीन को उन्होंने अपने नाम से दाखिल खारिज करवाकर दखलकार बनी।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का यह भी कहना है कि शाम महम्मद शेख के पास कुल बिक्री किये गये जमीन रकवा 02 बीघा 11 कट्ठा 10 धूर के अलावे भी 01 बीघा जमीन का केवाला उसके पास रह गया था एवं शाम महम्मद के देहांत के बाद मरे हुए आदमी के नाम से विपक्षीगण 01 बीघा जमीन का दाखिल खारिज शाम महम्मद के नाम से कर्मचारी, अंचल निरीक्षक एवं अंचल अधिकारी, उधवा को अंधकार में रखकर दाखिल खारिज करा लिये। किन्तु विपक्षी उक्त जमीन पर कभी भी दखल में नहीं रहे हैं। विपक्षीगण शाम महम्मद के पोतागण है। दिनांक 20.10.2014 को विपक्षीगण अनुसूची की जमीन, जो आवेदक का है, से मिट्टी काटने लगे तो आवेदक के मना करने पर विपक्षीगण ने कहे कि केवाल मेरे पास है, मैं दिखा दुंगा। दूसरे दिन विपक्षीगण के द्वारा 01 बीघा जमीन से संबंधित केवाला जिसका नं0 3704/1958 दिखाया गया। जबकि उक्त केवाला सं0 3704/1958 पूर्व में गुलजान बीबी को बेच दिया गया है। विक्रय केवाला में दोनों केवाला सं0 3704/1958 तथा 3819/1958 का जिक्र है तथा पुनः बाद के जिस केवाला से विपक्षी जमीन का दावा कर दाखिल खारिज शाम महम्मद के नाम से करा लिये हैं उसी केवाला से जमीन खारिज भी कराये हैं तथा उक्त जमीन पर दावा भी कर रहे है, जो गलत नाम का जमाबंदी है। वास्तव में यह जमीन आवेदक के पिता सलीम शेख के हिस्से की जमीन है। विपक्षीगण कभी भी इस जमीन के दखल में नहीं थे और अभी भी नहीं हैं।

अतएव आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का प्रार्थना है कि मौजा पियारपुर जमाबंदी नं0– 10 भैल्युम नं0– 09 पेज नं0– 1716 में अंकित नाम शाम महम्मद शेख का नाम सुधार करते हुए आवेदक का नाम प्रविष्ट करने का अनुरोध किया गया है।

विपक्षीगण लम्बे समय से अनुपस्थित चले आ रहे हैं तथा अपने समर्थन में कोई कागजात भी दाखिल नहीं किये है।

अंचल अधिकारी, उधवा से प्रतिवेदन अप्राप्त।

तमाम स्थिति एवं परिस्थितियों पर सम्यकरूपेण विचारोपरांत एवं अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट प्रतीत होता है कि संबंधित वाद का निपटारा इस न्यायालय से संभव नहीं है। आवेदक चाहें तो सक्षम न्यायालय जा सकते हैं।

इसके साथ ही वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता
राजमहल

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता
राजमहल।

Scanned with CamScanner